

## प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 01.01.2017 के आधार पर प्रदेश के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का निदेश दिया है, जिसका कार्यक्रम निम्नवत् है:-

### कार्यक्रम

1. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 15 सितम्बर, 2016
  2. दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 15 सितम्बर, 2016 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 तक
  3. ग्राम सभा/स्थानीय निकायों और रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशियन आदि की बैठकों में फोटोयुक्त नामावलियों का पढ़ा जाना और नामों का सत्यापन दिनांक 20 सितम्बर, 2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 और दिनांक 16 नवम्बर, 2016
  4. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेबिल एजेन्टों के साथ समस्त पदाभिहित स्थानों पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान तिथियां दिनांक 18 सितम्बर, 2016 दिनांक 25 सितम्बर, 2016 दिनांक 09 अक्टूबर, 2016 दिनांक 23 अक्टूबर, 2016
  5. फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 02 जनवरी, 2017
- 2- विशेष अभियान तिथियों दिनांक 18-09-2016, 25-09-2016, 09-10-2016 एवं 23-10-2016 को पदाभिहित स्थलों (मतदेय स्थलों) हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने बूथ लेबिल एजेन्ट बना सकते हैं जो, सम्बन्धित मतदेय स्थल के बूथ लेबिल अधिकारी (बी0एल0ओ0) के संरक्षण में मतदाता सूची में दृष्टिगोचर हुयी त्रुटियों इत्यादि को चिन्हित करने में सहयोग कर सकते हैं।

3- भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा-जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिलाधिकारी), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अपर जिलाधिकारी), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उप जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी) तथा बूथ लेबिल आफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि दिनांक 15-09-2016 से 02-01-2017 तक के मध्य स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी है।

टी0 वेंकटेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

लखनऊ:

दिनांक: 07 सितम्बर, 2016

**कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

**संख्या-3369(1)/सी0ई0ओ0-4 तददिनांक-**

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेस नोट की 25 अतिरिक्त प्रतियो सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रेस नोट का विवरण सभी दैनिक समाचार पत्रों में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
  - 2- निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को आकाशवाणी से प्रसारण कराने हेतु।
  - 3- निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को दूरदर्शन से प्रसारित कराने हेतु।
  - 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  - 5- समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  - 6- मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

(अमृता सोनी)